न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),भीण्डर जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र वहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 28/23(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2023/82

अनवान्

1. श्रीमती भागु पुत्री मोडा जी जाति जणवा (पत्नि पांवर जी) निवासी सारंगपुरा (भीण्डर), तहसील कानोड हाल मु. अरनेड, तहसील डुंगला, जिला चित्तौड़गढ़ राज.।

बनाम

.............प्रार्थीया

1. श्री देवीलाल पुत्र मोडा जी जाति जणवा निवासी सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षी

उपस्थित–1. श्री कैलाश चन्द्र चौबीसा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांकः–19.03.2024

प्रार्थीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उसके साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि मौजा जवतरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) भू अभिलेख निरीक्षक सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की परिशिष्ट (क) की आराजी न. (साबिक) 176, 176मी. जिसके नये आराजी नम्बर 506, 507 किता 2 रकबा 2.3400 है. भूमि है व परिशिष्ट (ख) मौजा सारंगपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) भू. अभिलेख निरीक्षक सालेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर की आराजी न. पुराने (साबिक) 164/1, 164, 164, 163, 164, 164, 164, 164/3 जिसके नये आराजी नम्बर 419, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 431 किता 8 रकबा 3.1600 हेक्टर उपरोक्त भूमि वर्तमान अभिलेखों में देवीलाल पुत्र मोडा जणवा हिस्सा पूर्ण के रूप में राजस्व ... में दर्ज हैं। ताईद में नकल जमाबन्दी पुरानी, नई, एवं खसरा मिलान संलग्न हैं।

2. यह कि उक्त आराजीयात वर्तमान में हिन्दू ... परिवार अविभाजित पैतृक सम्पति है जो प्रार्थीया एवं विपक्षी व प्रतिवादी संख्या से लायत तीन के ... मोडा जी के समय ... चली आ रही है जिसे स्व. मोडा जी की मृत्यु हो चुकी हैं मोडा जी की मृत्यु के बाद विधि अनुसार प्रथम दर्जे के वारिस पुत्र के रूप में देवीलाल व पुत्री के रूप में वरजु, भागु, जमना हैं जिनका राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय मोडाजी की मृत्यु के बाद बराबर –बराबर हक हिस्से के रूप 1/4, 1/4 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु राजस्व अधिकारीयों की मिलीभगत से पु नाम दर्शित नहीं करते हुए केवल पुत्र देवीलाल के नाम पर सम्पूर्ण हिस्सा राजस्व रेकर्ड करवा दिया गया जबकि प्रार्थीया एवं विपक्षी व प्रतिवादी संख्या दो से लगायात तीन स्वर्गीय मोंडाजी कि पुत्र, पुत्रीया होकर उनके विधिक वारिसान होने से उन सभी में सा समायोजित होकर स्वर्गीय मोंडा जी की वादग्रस्त भूमि में 1/4, 1/4 हिस्से से बराबर राजस्व रेकर्ड में अंकन होना चाहिये था जबकि प्रार्थना पत्र में वर्णित हिस्सा जमाबन्दी हिस्सा दर्शित कर रखा है वो गलत होकर कानून सम्मत नहीं हैं। स्वर्गीय मोंडा जी संताने हुई जिसमें भागु प्रार्थीया एवं देवीलाल, वरजु, जमना प्रतिवादीगण है। उपरोक्त प्रार्थीया व प्रतिवादी वारिस होने से वादग्रस्त आरजी के सुंयक्त कब्जे काश्त में होकर काश्तकार है जिनका वादग्रस्त आराजीयात में प्रत्येक का सुंयुक्त रूप से 1/4, 1/4 हि खातेदारी हक, अधिकारी स्वामित्व व अधिपत्य है।

यह कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 08.03.2023 को विवादित जायदाद बावत् विपक्षी को बंट जमीन प्रार्थीया ने अपने 1/4 हिस्से को प्रार्थीया के नाम कराने बावत् कहा तो विपक्षी ने एकदम गुस्से में आकर प्रार्थीया के विवादित जायदाद में किसी भी प्रकार के अधि अस्वीकार कर जमीन को लेकर कोई हक की बात की तो लडाई झगडा एवं विवादित आ पर आने पर देख लेने की धमकी दी और प्रार्थनाग्रस्त जायदाद के संयुक्त कब्जे से उस करने व जायदाद को विक्रय करने की धमकी दी। अतः विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आ हिन्दु संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक संपति होने का जो कथन प्रार्थीया द्वारा किया वह गलत होकर अस्वीकार है, प्रार्थनाग्रस्त भूमि अविभाजित पेतृक है, इसको प्रार्थीया किसी भी तरह से स्पष्ट नहीं किया हैं एवं मोंडा जी की मृत्यु कब हुई इसको भी प्रार्थीया पर भी स्पष्ट नहीं किया हैं। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र विपक्षी को हेरान–परेशान करने की नीयत से एवं विपक्षी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि को अवैध रूप से हडप करने की नीयत से पुरी तरह से झुठे आधारों पर पेश कि जो पुरी तरह से गलत हैं। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया का एवं प्रतिवादी संख्या 2 किसी भी तरह से कोई हक, अधिकार, अधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है एवं आराजीयात का विपक्षी के नाम पर पुरी तरह से रूप से दर्ज हुई हैं, जिसका ज्ञान को एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 को भी हैं। वादग्रस्त आराजीयात का विपक्षी एक मात्र खातेदार काश्तकार होकर अधिपत्य में है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा जो सजरा दर्शित गया है वह केवल मात्र विपक्षी के हक, अधिकारों को अवैध रूप से नुकसान कारित क नीयत से दर्शाया गया है। वादग्रस्त कृषि आराजीयात में प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:43 IST
Reason: Self Attested

फिसी भी तरह से सुराबता कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही कोई अधिकार है एवं न ही खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3 का किसी भी तरह से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जंवतरा, पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालेड़ा तहसील कानोड़ जिला उदयपुर में खसरा संख्या 506, 507 कुल खसरे 02 क्षे. 2.3400 हे., खसरा संख्या 419, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 431 कुल खसरे 08 क्षे. 3.1600 हे. कृषि भूमि स्थित है। जिसका विपक्षी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है।

3. यह कि इस काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित विपक्षी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में प्रार्थीया का किसी भी तरह से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वत्व इत्यादि नहीं है एवं न ही कभी रहा है प्रार्थीया वैवजह काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित विपक्षी के खातेदार अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि में जबरन हस्तक्षेप करने पर एवं विपक्षी को जबरन बेदखल करने पर उतारू हो रही है एवं विपक्षी के शांतिपूर्ण कब्जे, काश्त एवं उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा करने पर उतारू हो रही हैं। अतः प्रार्थीया को काउन्टर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने प्रकरण में उभयपक्ष की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज कर व काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा निर्णय के लिए तीनों बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी के नाम दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपति होने का कथन कहा गया है इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय किया जाएगा। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात [illegible] होने से प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा व हस्तक्षेप होता है तो इससे कानूनी पेचिदगिया बढेगी। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। प्रथम दृष्ट्या मामले प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।
2. अपूरणीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:43 IST
Reason: SelfAttested

3\. **सुविधा संतुलन :–** प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में

निर्णित किया जाता है।

किये जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2\. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा विपक्षी के विरूद्ध मूल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में विपक्षी के नाम दर्ज है। कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात वर्तमान में हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित सम्पति है जो प्रार्थीया एवं विपक्षी व प्रतिवादी संख्या दो से लगायत तीन के पिता समय से चली आ रही है। मोडा जी की मृत्यु के बाद विधि अनुसार प्रथम वर्ग के के रूप में देवीलाल व पुत्री के रूप में वरजु, भागु, जमना है जिनका राजस्व मोडाजी की मृत्यु के बाद बराबर –बराबर हक हिस्से के रूप 1/4, 1/4 हिस्सा में दर्ज होने चाहिये था परन्तु सिर्फ देवीलाल के नाम पर सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज गलत है। हमने पाया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को संयुक्त हिन्दू पैतृक संपति होने का कथन कहा गया है इस बिन्दु को मूल वाद में साक्ष्य सबूत तय किया जाएगा। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात विपक्षी के नाम दर्ज होने से आराजीयात पर किसी प्रकार का जबरन कब्जा व हस्तातंरण होता है तो इससे पेचिदगिया बढेगी जिससे विपक्षी को पाबंद किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रकरण दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीया के पक्ष में निर्णित की जाती अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि जवतरा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) भू–अभि.नि.क्षेत्र – सालेडा, तहसील कानोड, जिला (राज.) की खाता संख्या नया 41 की परिशिष्ठ (क) की आराजी नंबर 506, 507 कुल किता 2 2.3400 हैक्टेयर व परिशिष्ठ (ख) की आराजी नम्बर 419, 421, 422, 424, 425, 426, 427 किता 8 रकबा 3.1600 हैक्टयर भूमि में विपक्षी मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं राजस्व यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2024.04.29 16:47:43 IST
Reason: SelfAttested